प्रेशर हॉर्न बजाने वाले चालकों पर होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बेवजह हॉर्न बजाना और वाहनों में मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग करना चालकों को अब महंगा पड़ सकता है। परिवहन विभाग इसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। वाहनों में मल्टी ट्यून्ड हॉर्न और बुलेट में साइलेंसर का मोडिफिकेशन कराने वालों पर भी जुर्माना लगेगा।

परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने वाहन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि बुलेट में वैसे साइलेंसर न लगाएं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रेशर हॉर्न या बुलेट में मोडिफाई साइलेंसर लगा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन मालिकों की शिकायत कोई भी जिला परिवहन पदाधिकारी और संबंधित थाने के नंबर पर भी कर सकता है। बुलेट की एजेंसी के बाहर बैठे मिस्त्रियों और मोटर मार्केट के मिस्त्रियों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर मैकेनिक बुलेट का साइलेंसर बदलते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये लोग बुलेट से अधिक ध्वनि निकालकर दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इसके कारण हादसे की भी आशंका रहती है। प्रेशर हॉर्न के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों पर प्रेशर हॉर्न और सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित कई तरह के स्टीकर लगाए गए हैं।

सख्ती

- स्कूली बस, ट्रकों आदि की होगी विशेष जांच
- बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर पर भी नजर

क्या है प्रावधान

निर्धारित मानक को छोड़कर प्रेशर हॉर्न या मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का वाहनों में उपयोग किया जाना केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अंतर्गत निषिध और दंडनीय अपराध है। इसके तहत प्रथम अपराध के लिए 1000 और द्वितीय अपराध के लिए 2000 तक अर्थदंड का प्रावधान है। लगातार नियमों के उल्लंघन पर परमिट भी रद्द किया जा सकता है।

यहां करें शिकायत

बुलेट के साइलेंसर के दुरुपयोग पर डीटीओ के 6202751158 नम्बर पर गाड़ी के नंबर सहित अन्य सूचनाएं दें। थाने को 100 नंबर पर कॉल कर ट्रैफिक पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं।